



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 60) पटना, सोमवार, 22 जनवरी 2024

सं0 ई2-2-36/2023-225

निर्वाचन विभाग

संकल्प

19 जनवरी, 2024

विषय:- श्री मिथिलेश कुमार साहु, भा०प्र०से० (2010), तत्कालीन संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संप्रति विशेष सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2024 के बाद संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3(1) के परंतुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में संविदा पर दो वर्षों (लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 एवं विधान सभा आम निर्वाचन, 2025) या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो), के लिए नियोजन के संबंध में।

श्री मिथिलेश कुमार साहु, भा०प्र०से० (2010) तत्कालीन संयुक्त सचिव- सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संप्रति विशेष सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की सेवानिवृत्ति तिथि 29.02.2024 है। श्री साहु वर्ष 2009 से विभिन्न पदों यथा-उप निर्वाचन पदाधिकारी; उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-पर कार्यरत रहते हुए निर्वाचन संबंधी कार्य संपादित कर रहे हैं। इस प्रकार इन्हें निर्वाचन कार्यों का 14 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उनका लोकसभा आम निर्वाचन, 2009; विधान सभा आम निर्वाचन, 2010; पंचायत आम निर्वाचन, 2011; नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 एवं लोकसभा आम निर्वाचन, 2014 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त पंचायत आम निर्वाचन, 2016; नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 एवं विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 को संपन्न कराने में मुख्यालय स्तर पर भी प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधी विषयों में इनकी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही है। वे एक योग्य, अनुभवी एवं कार्यकुशल पदाधिकारी हैं। सेवाकाल में उनकी दक्षता और कुशलता सर्वोत्तम रही है। निर्वाचन विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। विभाग में वरीय पदाधिकारियों की कमी और निर्वाचन कार्यों का श्री साहु के व्यापक अनुभव एवं कार्यकुशलता को देखते हुए इनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त इन्हें संविदा के आधार पर नियोजन का प्रस्ताव विचाराधीन था।

2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.01.2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-15 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित शर्तों के अधीन उनके संविदाधारित नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

- (i) वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री मिथिलेश कुमार साहु, भा0प्र0से0 (2010)- तत्कालीन संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संप्रति विशेष सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को सेवानिवृत्ति की तिथि 29.02.2024 उपरांत संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3 (1) के परंतुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य प्रावधानों के आलोक में संविदा पर (02) दो वर्षों (लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 एवं विधान सभा आम निर्वाचन, 2025) या उक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने तक, (जो पहले हो), के लिए संविदा पर नियोजित किया जाय।
- (ii) नियोजन के उपरांत श्री साहु के मानदेय का निर्धारण की प्रक्रिया संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका 3(6)(i)(iv) के आलोक में किया जायेगा।
- (iii) संविदा अवधि में इन्हें निर्धारित मानदेय एवं पदीय शक्तियों के अतिरिक्त पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए संयुक्त सचिव स्तर की सभी सुविधाएँ भी अनुमान्य होगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 60-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>